दिनांक 05.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 07/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना गुडम्बा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 05.09.2025 को थाना गुडम्बा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बसंत कुंज आवास के निकट कूढ़ा चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त नदीम उर्फ फिरोज उर्फ कामरान उर्फ जीतू उर्फ अलीखान को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नदीम उर्फ फिरोज उर्फ कामरान उर्फ जीतू उर्फ अलीखान निवासी कटहरिया थाना कोतवाली शहर जनपद गोण्डा।

जनपद आजमगढ़/थाना मेहनाजपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 07 हजार 500 रूपये नगद**
- **लूट का 01 लैपटॉप, 03 बायोमैट्रिक डिवाइस, 01 मोबाइल फोन, 02 चार्जर**
- **02 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 05.09.2025 को थाना मेहनाजपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तियरा मोड के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल

सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–सतेन्द्र उर्फ अमित 2–सतीश घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–अभय 4–जयहिन्द 5–आशुतोष सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 07 हजार 500 रूपये नगद, लूट का 01 लैपटॉप, 03 बायोमैट्रिक डिवाइस, 01 मोबाइल फोन, 02 चार्जर, 02 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.09.2025 को थाना मेहनाजपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मेहनाजपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, लैपटॉप आदि उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सतेन्द्र उर्फ अमित के विरूद्ध जनपद आजमगढ़, जौनपुर, कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग एवं अभियुक्त सतीश के विरूद्ध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मेहनाजपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सतेन्द्र उर्फ अमित निवासी अवहदपुर थाना चन्दवक जनपद जौनपुर।

2–सतीश निवासी चिउटहरा थाना मेहाजपुर जनपद आजमगढ़।

3–अभय निवासी ग्राम विनैकी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

4–जयहिन्द निवासी खुम्हादेवरी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

5–आशुतोष निवासी नोनीपुर उर्फ नईकोट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 07 हजार 500 रूपये नगद।

2–लूट का 01 लैपटॉप, 03 बायोमैट्रिक डिवाइस, 01 मोबाइल फोन, 02 चार्जर।

3–02 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मेरठ/थाना मवाना

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 अवैध पिस्टल 08 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय 06 जीवित कारतूस**
- **01 कार आदि बरामद**

दिनांक 04/05.09.2025 की रात्रि थाना मवाना, थाना हस्तिनापुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–गुड्डू उर्फ युधिष्ठिर 2–जानी उर्फ शोकेन्द्र घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–सोनू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 03 अवैध पिस्टल 08 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय 06 जीवित कारतूस, 01 कार आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त जानी उर्फ शोकेन्द्र के विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, एनएसए, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग, अभियुक्त गुड्डू उर्फ युधिष्ठिर के विरूद्ध जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मवाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गुड्डू उर्फ युधिष्ठिर निवासी डिफेंस कॉलोनी हस्तिनापुर जनपद मेरठ।

2–जानी उर्फ शोकेन्द्र निवासी अलीपुर मोरना थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ।

3–सोनू निवासी राधेश्याम फेस–5 गेट नं0–2 जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

03 अवैध पिस्टल 08 जीवित, 02 खोखा कारतूस

02 अवैध तमंचा 315 बोर मय 06 जीवित कारतूस

01 कार आदि बरामद

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना छतारी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना छतारी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/364/364ए भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शाहिद को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना खुर्जा नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अर्जुन को 07 वर्ष के कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।